उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4ए लखनपुर
कानपुर — 208024
दूरभाष : 0512- 582851-53
फैक्स : 0512-2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
CIN-U26961SGC002834

संदर्भ संख्या 2022-2027 /सीडा/एटीपी/विनियमन दिनांक 21.03.2022

कार्यालय आदेश

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यूपीसीडा के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन प्रस्तावों में संविलियन शुल्क के सम्बन्ध में निर्गत आदेश संख्या 491–516/एसआईडीसी/यूपीसीडा दिनांक 09.03.2018 (प्रतिलिपि संलग्न) में प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन प्रस्तावों में उल्लिखित शर्तो की आर्हता पूर्ण करने की दशा में संविलियन शुल्क के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख है:–

"क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले यूपीसीडा के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों के प्रचलित तलपट मानचित्र/विकास योजना में दर्शाये गये औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार संविलियन शुल्क में छूट हेतु परीक्षणोंपरान्त उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को पात्रता से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों सहित स्पष्ट संस्तुति करते हुए औ0क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय के माध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी–यूपीसीडा के अनुमोदनार्थ संविलियन प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।"

उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो की आर्हता पूर्ण करने की दशा में संविलियन शुल्क के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

"क्षेत्रीय कार्यालय/परियोजना कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले यूपीसीडा के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों के प्रचलित तलपट मानचित्र/विकास योजना में दर्शाये गये औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार शर्तों की आर्हता पूर्ण करने की दशा में भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 में निर्धारित संविलियन शुल्क में छूट प्रदान करते हुए भूखण्डों का संविलियन निःशुल्क होगा। संविलियन प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय/परियोजना कार्यालय द्वारा परीक्षणोंपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों सहित स्पष्ट संस्तुति करते हुए एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेगें। संविलयन निःशुल्क किये जाने के सम्बन्ध में औ0क्षे0 अनुभाग का मत प्राप्त करते हुए संविलियन प्रस्ताव का अनुमोदन कार्यालय आदेश सं0 1300–1307/सीडा/एटीपी/का0आ0 दिनांक 15.01.2021 में प्रदत्त प्रतिनिधायन के अनुसार निस्तारित किये जायेगें।"

उक्त प्रस्तर के अतिरिक्त उपरोक्त संदर्भित कार्यालय आदेश के अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि संविलियन प्रस्ताव ऑनलाइन प्राप्त करते हुए ऑनलाइन ही मुख्यालय प्रेषित किये जायेगें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नकः यथोक्त।

(नेहा जैन)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
दिनांकः 21.03.2022

संदर्भ संख्या 2022-2027/यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय।
3. उप महाप्रबन्धक(वास्तु0/नियो0)/वरि0प्रबन्धक(वास्तु0/नियो0), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0.....
5. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक(सिविल), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0.....।
6. प्रभारी (कम्प्यूटर), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

21/03/22

(नेहा जैन)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4ए लखनपुर
कानपुर – 208024
दूरभाष : 0512- 582851-53
फैक्स : 0512-2580797
वेवसाइट: www.upsidc.com
CIN-U26961SGC002834

283

1. प्रभारी, औ0क्षे0
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,

संदर्भ संख्या 491-511/एसआईडीसी/यूपीसीडा दिनांक 09/03/2018

विषयः यूपीसीडा के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन प्रस्तावों में संविलियन शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में प्राधिकरण की विकास योजनाओं/डीम्ड विकास योजनाओं में विकसित औद्योगिक भूखण्डों के संविलियन हेतु प्राधिकरण के निर्देशों सम्बन्धी अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं0 132–163/एसआईडीसी/यूपीसीडा दिनांक 18.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त निर्देशों में आंशिक संशोान करते हुए उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की दिनांक 29.01.2018 को सम्पन्न 28वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन की दशा में भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 में निर्धारित संविलियन शुल्क में छूट प्रदान करते हुये भूखण्डों का संविलियन निःशुल्क अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया हैः–

1. उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 की Operating Manual-2011 के अध्याय–2 में औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन की प्रकिया/दिशा–निर्देशों में किये गये प्रावधान "Wherever the allotment is made by joining plots, the plots would be considered amalgamated. Normally the application for the size of individual plot shall hold precedence (preference) over the combined allotment. The case of application for combined plots can be only considered with specific reasons justifying such consideration and shall be got duly and separately approved from Head Office" के अनुसार प्राधिकरण में संविलियन शुल्क लागू करने की तिथि 29.05.2017 के पूर्व आवंटित किये गये हों।
2. निगम द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित भूखण्डों को उद्यमियों द्वारा एक ही औद्योगिक परियोजना की स्थापना के लिए औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमन्य किया गया हो एवं आवंटी द्वारा एक ही औद्योगिक परियोजना हेतु उपयोगित किया गया हो।
3. उपरोक्तानुसार आवंटित भूखण्डों के किसी भी भू–भाग को आवंटी द्वारा हस्तांतरित किया जाना अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि प्राधिकरण के उप विभाजन हेतु निर्धारित योजना मानकों के अनुसार संदर्भित भू–भाग का नये भूखण्ड के रूप में सृजन अनुमन्य न कर दिया गया हो।